

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक:प.1(1) शिक्षा-4/2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 10-1-11

- 13/1/11
1. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
 3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
 4. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
 5. कुलसचिव, जनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
 6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
 7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
 8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
 9. कुलसचिव, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
 10. कुलसचिव, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

54
13-1-11

विषय:—छठे वेतन आयोग के संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान संशोधन के क्रम में ।

सन्दर्भ:—मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक: 1.36/2009-यू II दिनांक: 26.8.2010 एवं इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक: प.1(1) शिक्षा-4/2008 दिनांक: 27.10.2009, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:प.14 (1)वित्त (नियम) /2009 दिनांक: 12.10.2009 एवं प.1(6) शिक्षा-4/2010 दिनांक: 22.9.2010 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों के क्रम में 1.1.2006 से 30.06.2010 के मध्य सीधी भर्ती से नियुक्त एसोसियेट प्रोफेसर (रीडर) को नियुक्ति के समय 23890/- रु० पर 15600/- से 39100/- रु० के वेतनमान (पे-बैंड 3) तथा ए.जी.पी. 8000/- रु० नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही उक्त अवधि में नियुक्त एसोसियेट प्रोफेसर (रीडर) तथा चयनित वेतनमान स्वीकृत व्याख्याताओं को जब भी वे 3 वर्ष पूर्ण करें, उन्हें 37,400/- से 67,000/- रु० के वेतनमान (पे-बैंड 4) तथा ए.जी.पी. 9000/- रु० में वेतन नियतन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है । उपरोक्तानुसार नियुक्त एसोसियेट प्रोफेसरों को उनके परीक्षाकाल में (Probation Period) इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.2.2010 के अनुसार स्थिर वेतन देय होगा ।

वसु

श्री राममोहन जी
17/1/11

64

विश्वविद्यालयों में दिनांक 1.1.2006 से 30.6.2010 की अवधि में नियुक्त उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं उप निदेशक शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति 23890/- रु0 पर 15600/- से 39100/- रु0 के वेतनमान (पे-बैण्ड 3) तथा ए.जी.पी. 8000/- रु0 नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है, इन्हें परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समकक्ष वेतनमान हेतु निर्धारित स्थिर वेतन देय होगा। उक्त अवधि में नियुक्त उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं उप निदेशक शारीरिक शिक्षा को जब भी वे 5 वर्ष पूर्ण करें, उन्हें 37,400/- से 67,000/- रु0 के वेतनमान (पे-बैण्ड 4) तथा ए.जी.पी. 9000/- रु0 में वेतन नियतन की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के आई.डी.संख्या: 221001664 दिनांक: 24.12.2010 के संदर्भ में जारी की जा रही है।

भवदीय,

(वी.गुप्ता)

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्चशिक्षा।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, उच्चशिक्षा।
5. शासन उप सचिव, उच्चशिक्षा।
6. लेखाधिकारी, उच्चशिक्षा।
7. रक्षित पत्रावली।

10.1.11

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1 ()स्था./निकाशि/10/

दिनांक: जनवरी 2010

समस्त प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

राजस्थान

2 प्राचार्य, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर

3 प्राचार्य, राजस्थान स्कूल आफ आर्ट जयपुर

4 सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय,

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर

5 रक्षित पत्रावली।

8/2

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

24-1-11